



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272566
CG-DL-E-14052026-272566

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2365]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2365]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2457(अ).— मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 39 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2765 (अ), तारीख 28 अगस्त, 1965 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रमित करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो उक्त परंतुक द्वारा उन्हें उन प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रदान की गई हैं जिनके लिए केंद्र सरकार समुचित सरकार है और जो उक्त तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित हैं, अर्थात्:

सारणी

क्रम सं. (1)	अधिकारी (2)	अधिकार क्षेत्र (3)
1.	मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)	संपूर्ण भारत

[फा. सं. एस-33027/1/2026-डब्ल्यूबी]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2026

S.O. 2457(E).— In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 39 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment number S.O. No.2765 (E), dated the 28th August, 1965, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the officer mentioned in column (2) of the Table below to be authority, to exercise the powers conferred on them by the said proviso, in relation to which the Central Government is the appropriate Government, in respect of the establishments situated within the area of jurisdiction specified in column (3) of the said Table thereof, namely:—

TABLE

Sl. No. (1)	Officer (2)	Jurisdiction (3)
1.	Chief Labour Commissioner (Central)	The whole of India

[F. No. S-33027/1/2026-WB]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.